उक्त अधिसूचना में, पहले पैराग्राफ में,—

(क) शब्द "जिनके मामले में राज्य कर का भुगतान करने की देयता है" के स्थान पर शब्द "जो कि इन पर राज्य कर का भुगतान करेंगे" को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ख) शब्द "सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जहां अपेक्षित हो, आरईपी के लिए पूर्णता प्रमाण—पत्र जारी किए जाने की तिथि या उनके प्रथम कबजे पर, जो भी पहले हो को उत्पन्न होगा" के स्थान पर शब्द "उस कर अवधि में, जो कि ऐसी कर अवधि के बाद न हो, जिसमें, जहां भी आवश्यक हो सक्षम प्राधिकारी के द्वारा परियोजना से संबंधित पूर्णता प्रमाण—पत्र को जारी किए जाने की तारीख या इसके पहले कब्जे की तारीख, जो भी पहले हो, पड़ती हो" को प्रस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 2 जून, 2021 से लागू होगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / —
(जगदीश चन्द्र शर्मा),
अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I, dated 16th June, 2021 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 3/2021-State Tax (Rate)

Shimla-2, the 16th June, 2021

No. EXN-F(10)-4/2021-Vol-I.—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 06/2019-State Tax (Rate) dated the 6th May, 2019, published in the Gazette of Himachal Pradesh *vide* number EXN-F(10)-9/2019, dated the 8th May, 2019—

In the said notification, in the first paragraph,—

(a) for the words "in whose case the liability to", the words ", who shall" shall be substituted;

(b) for the words "shall arise on the date of issuance of completion certificate for the project, where required, by the competent authority or on its first occupation, whichever is earlier", the words "in a tax period not later than the tax period in which the date of issuance of the completion certificate for the project, where required, by the competent authority, or the date of its first occupation, whichever is earlier, falls" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 2nd day of June, 2021.

By order,
Sd/-
(Jagdish Chander Sharma),
Addl. Chief Secretary (E&T).

ब अदालत श्री बुद्धि लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्मा नं0 : 20 / 2020 तारीख दायर : 10–03–2021

श्री देवराज पुत्र स्व0 श्री फिन्डू राम, निवासी गांव नानण, डाकघर ज्यूरी, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी।

बनाम

सचिव, ग्राम पंचायत बौण्डा . . प्रतिवादी।

विषय.——दरख्वास्त बराए नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौण्डा के परिवार रजिस्टर व जन्म रजिस्टर में दर्ज किए जाने बारे।

श्री देवराज पुत्र स्व0 श्री फिन्डू राम, निवासी गांव नानण, डाकघर ज्यूरी, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरख्वास्त पेश की है कि देवराज के पुत्र मोहित कुमार व अमन कुमार का नाम एवं जन्म तिथि नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत बौण्डा के परिवार रजिस्टर व जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं है । अतः आवेदक के पुत्र मोहित कुमार व अमन कुमार का नाम एवं जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौण्डा के परिवार रजिस्टर व जन्म रजिस्टर में दर्ज किए जाने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मोहित कुमार व अमन कुमार का नाम एवं जन्म तिथि ग्राम पंचायत बौण्डा के परिवार रजिस्टर व जन्म रजिस्टर में दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर इस सम्बन्ध में अपना उजर / एतराज हाजिर अदालत आकर पेश कर सकते हैं अन्यथा आवेदन–पत्र पर आवश्यक आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत बौण्डा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28–04–2021 को जारी हुआ।

मोहर।

बुद्धि लाल नेगी,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बुद्धि लाल नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्मा नं0 : 22 / 2021 तारीख दायर : 23–01–2021

श्री पदम चन्द पुत्र श्री बेसरू, निवासी गांव कोछडी, डाकघर ज्यूरी, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी।